न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 04/24 (225 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2024/30

उनवान

1. कान्ता आयु 58 साल पत्नि गोपत
2. गुड्डन आयु 26 साल पुत्री गोपत
3. महेन्द्र आयु 24 साल पुत्र गोपत
4. संजय आयु 22 साल पुत्र गोपत
5. संगीता आयु 23 साल पुत्री गोपत
6. मन्नो आयु 21 साल पुत्री गोपत

जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास ब्रहम्बाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

7. किरन पुत्री बाबू पत्नि मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना मानव भारती स्कूल के पास जसवंत नगर भरतपुर।
8. मिथलेश आयु 60 साल पुत्री बाबू पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी 109 जसवंत नगर भरतपुर।
9. अमरेश आयु 35 साल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी सोगोली तहसील बाडी जिला धौलपुर।
10. मधू आयु 50 साल पत्नि स्व0 पप्पूराम
11. ववली आयु 28 साल पुत्री पप्पूराम
12. सपना आयु 25 साल पुत्री पप्पूराम
13. मनोज आयु 27 साल पुत्र पप्पूराम
14. कृष्णगोपाल आयु 23 साल पुत्र पप्पूराम
15. चन्द्रभान आयु 60 साल पुत्र गंगाप्रसाद उर्फ हप्पू
16. मोहनलाल आयु 50 साल पुत्र गंगाप्रसाद उर्फ हप्पू
17. सोहनलाल आयु 52 साल पुत्र गंगाप्रसाद उर्फ हप्पू

जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास ब्रहम्बाद तहसील बयाना, भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रमेशचन्द शर्मा आयु 18 साल पुत्र बाबू जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास ब्रहम्बाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. रामदेई पत्नि राम सिंह जाति जाटव निवासी ब्रहम्बाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. देवेन्द्र आयु 65 साल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास ब्रहम्बाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. मनोज आयु 36 साल पुत्र रमेश चन्द
5. विनोद आयु 24 साल पुत्र रमेश चन्द
6. मधू आयु 45 साल पुत्री रमेश चन्द
7. सुनीता आयु 43 साल पुत्री रमेश चन्द
8. विनीता आयु 43 साल पुत्री रमेश चन्द
9. मिथलेश आयु 29 साल पुत्री रमेश चन्द

जाति ब्राहम्ण निवासी भीतर वाडी ऊषा मन्दिर बयाना जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

10. चन्द्रभान उर्फ चन्दो आयु 58 साल पुत्र द्वारिका
11. महेश आयु 65 साल पुत्र द्वारिका
12. शैलेन्द्र आयु 48 साल पुत्र भगवती
13. डौली आयु 45 साल पुत्री भगवती
14. पिंकी आयु 42 साल पुत्री भगवती
15. जया आयु 22 साल पुत्री दीनदयाल
16. पूजा आयु 21 साल पुत्री दीनदयाल

} जाति ब्राहम्ण नि0 नयावास ब्रहम्बाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

17. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बयाना।

.... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 18.08.2023 प्र0स0 162/23 उनवान रमेशचन्द बनाम कान्ता।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री राकेश कुमार सैन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अतर सिंह सैन व लक्ष्मण प्रसाद शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 18.08.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार प्रार्थी असल रैस्पो0 के पिता बाबू थे। बाबू का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी असल रैस्पो0 व अप्रार्थी अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं प्रार्थी असल रैस्पो0 एक वृद्ध व्यक्ति है, जो अप्रार्थी अपीलाण्ट से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी अपीलाण्ट फसल आदि काटने में प्रार्थी असल रैस्पो0 से झगडा करते हैं। अतः प्रार्थी असल रैस्पो0 विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराकर अपना खाता पृथक कराना चाहता है। प्रार्थी असल रैस्पो0 ने जब अप्रार्थी अपीलाण्ट से विभाजन कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2023 से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

14– प्रजापाल आयु 23 साल पुत्र पप्पूराम

दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि असल रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। असल रैस्पो0 स्वयं को बाबू की संतान बताता है। परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वह बाबू की संतान है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन जारी करते समय अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। असल रैस्पो0 दो बीघा का खातेदार है। परन्तु स्थगन 14 बीघा पर जारी कर दिया। अतः सभी सहखातेदारो को कैसे पाबन्द कर सकते हैं। अंत में दोनों पक्षो को सुनवाई का मौका देकर पुनः निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट विवादित आराजी को रहन, बय, मुंतकिल करने को उतारू हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है एवं वादी असल रैस्पो0 के विवादित आराजी में बनने वाले हिस्से तक ही सीमित हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से मुक्त हैं। परन्तु हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के उपस्थित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तारीख पेशीयाँ निर्धारित की जाती रही हैं, जो उचित नहीं है। विधि अनुसार धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, 30 दिवस में करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2023 यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.09.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

… आयु 23 साल पुत्र पप्पूराम